30/1/2024 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार नीमकाथाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों का दौहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में दर्ज भूमि ग्राम झालरा पटवार हल्का दयाल की नांगल पुराना खसरा नम्बर 483 रकबा 1.34 व 484 रकबा 0.93 है. के नये खसरा नम्बर 713, 714, 715 बने है। उक्त भूमि जमाबन्दी सम्वंत 2056–59 के खातेदार छोटूराम पि. हरलाल ने अपना 1/4 हिस्सा सम्पूर्ण प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर दिया था। विक्रय पत्र के आधार पर ना0क0 संख्या 651 द्वारा जमाबन्दी संम्वत 2056–59 में खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज हो गई थी। इसके बाद बनी जमाबन्दी में सहवन से पटवारी हल्का द्वारा वापस पूर्व खातेदार के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जो वर्तमान जमाबन्दी में भी दर्ज चला आ रहा है। तहसीलदार जी ने भी पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली जाकर पेश की है जिससे भी मेरे प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें एवं राजस्व रिकार्ड में छोटूराम पुत्र हरलाल हि. 1/4 के स्थान पर प्रार्थीगण राजेश कुमार, बलदेव पि. धनसीराम जाति अहीर हि. 1/4 दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जावें।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड दस्तावेज, मिलान क्षेत्रफल रिपोर्ट पटवारी हल्का दयाल का नांगल तहसीलदार नीमकाथाना का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी ख0न0 483, 484 ग्राम झालरा के पूर्व खातेदार छोटूराम पि. हरलाल ने अपना 1/4 हिस्सा सम्पूर्ण प्रार्थीगण राजेश कुमार, बलदेव पि0 धनसीराम को विक्रय किये जाने पर ना0क0 संख्या 651 दिनांक 28.07.1999 द्वारा खातेदारी प्रार्थीगण के नाम जमाबन्दी सम्वंत 2056–2059 में दर्ज हुई है किन्तु इसके बाद बनी जमाबन्दी चौसाला में उक्त ना0क0 का अमल नही किया गया है एवं वापस ही पूर्व खातेदार का नाम दर्ज हुआ है। प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि पुराने ख0न0 483, 484 के नये ख.न. 713, 714, 715 बने है जिसमें पूर्व खातेदार का नाम ही दर्ज है। अतः प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज व रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं तहसीलदार नीमकाथाना के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित होने से स्वीकार किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है:–

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	[illegible] दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
झालरा	खाता सं. 356	छोटूराम पुत्र हरलाल हि0 1/4 जाति अहीर (यादव) सा. [illegible] तह0 रेवाड़ी खातेदार	राजेश कुमार, बलदेव पुत्रगण धनशीराम जाति अहीर हि0 1/4 सा. देह

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 12:49:16
Reason: SelfAttested

शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। तदनुसार दुरूस्ती हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया।